सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 535 राँची, शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

4 नवम्बर, 2025

संख्या-2/विविध-10-05/2025 का. 6441--श्री इकबाल आलम अंसारी, से०नि० भा०प्र०से०, श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से० तथा श्री अरूण वाल्टर संगा, से०नि० भा०प्र०से० को विभागीय ज्ञापांक 6781 दिनांक 14.10.2024 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था ।

2. संविदा अवधि विस्तारित करने के संबंध में श्री इकबाल आलम अंसारी, श्री सुनील कुमार तथा श्री अरूण वाल्टर संगा के द्वारा समर्पित आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त पद पर श्री इकबाल आलम अंसारी, से०नि० भा०प्र०से० की संविदा अवधि दिनांक 14.10.2025 से 04.01.2026 तक, श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से० तथा श्री अरूण वाल्टर संगा, से०नि० भा०प्र०से० की संविदा अवधि दिनांक 14.10.2025 से 13.10.2026 तक के लिए विस्तारित की जाती है ।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासी नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

4. संविदा की अवधि में उपर्युक्त पदाधिकारियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1243 दिनांक 28.04.2016 तथा 928 दिनांक 06.04.2022 में निहित प्रावधान के आलोक में मानदेय आदि का भुगतान किया जायेगा ।

5. संविदा की अवधि में इन पदाधिकारियों को निश्चित राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता एवं सुविधा देय नहीं होगी। सरकारी कार्य से यात्रा किये जाने की स्थिति में संविदा पर नियुक्त उपर्युक्त पदाधिकारियों को सरकार के यात्रा भत्ता नियमावली के अधीन अनुमान्य सुविधा देय होगी। संविदा की अवधि में राज्य कर्मियों के सदृश मात्र आकस्मिक अवकाश ही अनुमान्य होगा ।

6. उपर्युक्त पदाधिकारी विभागीय आदेश सं॰ 6018 दिनांक 13.11.2025 द्वारा आवंटित विभाग के जाँच पदाधिकारियों के रूप में कार्यों को निष्पादन करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 535 - 50